

**अनुदान संख्या 92 - इस्पात मंत्रालय**  
**GRANT No. 92 – MINISTRY OF STEEL**

|                              |                                    | कुल अनुदान<br>Total<br>grant                  | वास्तविक व्यय<br>Actual<br>expenditure | बचत-<br>Saving- |
|------------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|
|                              |                                    | (हजार रुपयों में)<br>(In thousands of rupees) |  |                 |
| <b>राजस्व:</b>               | <b>Revenue:</b>                    |   |  |                 |
| स्वीकृत-                     | Voted-                             |   |  |                 |
| मूल                          | Original                           | 121,89,00                                     |  |                 |
|                              |                                    |   | 247,57,00                              | 243,29,10       |
| पूरक                         | Supplementary                      | 125,68,00                                     |  |                 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year |   |  | 4,24,33         |

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष              | Head              |          |          |          |       |
|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------|
| मुख्य शीर्ष "2852" | Major Head "2852" |          |          |          |       |
| उद्योग             | Industries        |          |          |          |       |
| मू.                | O.                | 10189.00 |          |          |       |
| पू.                | S.                | 12568.00 | 22418.55 | 22417.92 | -0.63 |
| पु.                | R.                | -338.45  |          |          |       |

(I) ₹414.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹164.00 लाख अकेले "लौह और इस्पात उद्योग - विनिर्माण - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए मेकन लिमिटेड को आर्थिक सहायता" के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम" संबंधी कर्जों के लिए ब्याज सहायता बंद कर दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹414.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹164.00 lakhs alone accounted for under "Iron and Steel Industries – Manufacture - Subsidy to MECON Limited for payment of interest on loans raised from commercial banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS)" – due to discontinuance of interest subsidy for "Voluntary Retirement Scheme" loans by the Ministry of Finance.

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) “लौह और इस्पात उद्योग - विनिर्माण - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आर्थिक सहायता” - ₹285.35 लाख की बचत (₹4690.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्य विभाग के निर्णय के अनुसार ब्याज सहायता की दर कम किए जाने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य - अन्य व्यय - लौह और इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन संबंधी स्कीम” - ₹1910.35 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹92.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2377.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि “लौह और इस्पात उद्योग - विनिर्माण - बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड” के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 में ₹12568.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2376.94 लाख था।

(II) Savings also occurred under the following heads:-

(A) “Iron and Steel Industries - Manufacture – Subsidy to Hindustan Steelworks Construction Limited for payment of Interest on loans raised from banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme” - saving of ₹285.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4690.00 lakhs) was due to reduction of rate of interest subsidy as per decision of Department of Economic Affairs.

(B) “General – Other Expenditure - Scheme for promotion of Research and Development in Iron and Steel Sector” – saving of ₹1910.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and reduction of provision at revised estimates stage.

(III) Under one head saving of ₹92.00 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹2377.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹12568.00 lakhs in December, 2012 under “Iron and Steel Industries – Manufacture –Bisra Stone Lime Company Limited”. Actual excess, however, was ₹2376.94 lakhs.